हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)
सी–3, सैक्टर–6, पंचकूला।

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखंड का आबंटन

सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा), सैक्टर–21-A, रोहतक में शहरी सम्पदा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार भूखंडों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए दिनांक 15.08..2024 को विभिन्न समाचार पत्रों के दिए गए विज्ञापन में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक 14.09..2024 सांय 5:00 बजे तक थी। जिसको कि रद्द किया जाता है।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.), के सैक्टर–21-A, रोहतक में शहरी सम्पदा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित धर्मार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार भूखंड के आबंटन हेतु आवेदन पत्र रि–आमंत्रित करता है। इस आबंटन से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप ह.श.वि.प्रा. की वेबसाइट https://hsvphry.org.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपदा अधिकारी, ह.श.वि.प्रा. रोहतक से संपर्क करें। आवेदन पत्र जमा करने की प्रथम तिथि 29.01.2025 और अंतिम तिथि 28.02.2025 सांय 05:00 बजे तक होगी।

मुख्य प्रशासक,
ह.श.वि.प्रा., पंचकूला।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी–3, सैक्टर–6, पंचकूला।

PHOTO

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखण्ड़ों के आबंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. संगठन का नाम व पंजीकरण संख्या...

2 पता...

3. शहरी संपदा का नाम जिसमें भूखण्ड. चाहियेः...

4. संस्था वर्तमान में है अथवा प्रस्तावित हैः...

5. संगठन का प्रत्यय पत्र

क) संगठन का नामः सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त / निजी

ख) अगर निजी है, एक पंजीकृत समिति / समिति जो धर्मार्थ समिति अधिनियम के अधीन पंजीकृत है।

6. क) परियोजना हेतु उद्देशय का संक्षिप्त विवरणः...

ख) उद्देशय जिसके लिए भूखण्ड. चाहिएः...

7. किये गए पूर्व कार्यो का विवरणः...

8. परियोजना की कुल लागतः...

9. क्या संगठन के पास परियोजना संभालने की प्रबंधकीय क्षमता है...

10. परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संसाधनों को बढाने के लिए क्या उपाय किए जाएंगेः...............................

11. क) मांगे गये भूखण्ड का आकार (आवश्यक कारपेट एरिया के विवरण के साथ)

ख) भूखण्ड की आवश्यकता के संबंध में औचित्य एवं निर्मित क्षेत्र को दर्शाता भूखण्ड. का प्रयोज्य प्लान

12. संस्था की वित्तीय स्थिति

क) वर्तमान सभी बैंकों का बैंलंसः...

ख) वार्षिक प्राप्तियां (पिछले 3 वित्तीय वर्षो की):...

ग) भूखण्ड़ एवं भवन हेतु चिन्हित निधिः...

13. जिला उपायुक्त की अनुशंसाः...

14. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजः

क) परियोजना रिपोर्ट

ख) भूखण्ड़ प्रयोज्या नक्शा

ग) न्यास / संस्था / संस्थान के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।

घ) बैंक मैनेजर द्वारा सत्यापित वर्तमान बैंक बैलंस का प्रमाण पत्र।

दिनांकः

स्थानः

प्रार्थी का नाम एवं हस्ताक्षर

नामः...............................

मो0 न0...............................

ई–मेलः...............................

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी–3, सैक्टर–6, पंचकूला।

धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं हेतु भूखण्ड़ों के आबंटन हेतु नियम एवं शर्ते

1. आबंटन 99 वर्षो के लिए पटटे के आधार पर किया जाएगा।

2. इच्छुक और पात्र समाज/न्यास/संस्थाएँ इसके आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. भूखण्ड़ की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट https://hsvphry.org.in पर ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

5. प्राप्त आवेदनों की मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदानुसार आबंटन प्राधिकरण के यादि क्रमांक–09/547–622 दिनांक 04.01.2020 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति केवल ह.श.वि.प्रा. रोहतक में दिनांक 14.09.2024 सांय 5.00 बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।

7. आबंटित भूखंड़ के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढे हुए मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटी के द्वारा देय होगी।

8. इन भूखण्ड़ों के आबंटन के समय ह.श.वि.प्रा. की संस्थागत भूखण्ड़ों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/परोपकारी संस्थान/न्यास हेतु) जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटी से वसूल की जाएंगी।

9. ऐसे आंबटन हेतु निम्नानुसार दरें वसूल की जाएंगीः–

अनुसूचित जाति के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 20 प्रतिशत
पिछडा वर्ग (ए) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 30 प्रतिशत
पिछडा वर्ग (बी) के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 40 प्रतिशत
साधारण श्रेणी के लिए	निर्धारित संस्थागत दरों का 50 प्रतिशत

नोटः आवेदन पत्र के साथ आवेदक संस्था द्वारा जाति का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि सभी जातियों के मिश्रित समूह द्वारा भूखण्ड़ हेतु आवेदन किया जाएगा तो ऐसा आवेदन साधारण श्रेणी के लिए माना जाएगा।

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण(ह.श.वि.प्रा.)
सी–3, सैक्टर–6, पंचकूला।

HSVP

संस्थागत भूखण्ड़ों (धार्मिक/सामाजिक न्यास/धर्मार्थ संस्थान/ परोपकारी संस्थान/न्यास) के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:–

कमांक	शहरी संपदा का नाम	सैक्टर/भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	भूखण्ड की दर (वर्ग मी. में)
1.	रोहतक	21–A	1052.18 (वर्ग मी.) (0.26 एकड)	रू. 17,000/–

Rates for the above sites will be applicable as under:-

For SC Category	20% of the above sites
For BC (A) Category	30% of the above rates
For BC (B) Category	40% of the above rates
For General Category	50% of the above rates

NOTE:

(i) 10% of the total cost of the land shall be deposited along with application form as an earnest money.

(ii) If applicants falls under SC, BC(A) & BC(B) Category of Haryana than applicants have to provide caste certificate issued by the competent authority along with application to obtain above benefit in land cost.

(iii) In case of the mixed group for all caste, it shall be treated as General Category.